राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4–भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2740081,
0141-2740231
फैक्स : 0141-2740122,
0141-2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

अधिकृत डीलर की नियुक्ति हेतु आमंत्रण

राजफैड / कृषि / 2018–19 / 7767–68

राजफैड द्वारा वर्ष 2018–19 व आगामी वर्षो के लिए कृषि ग्रेड का जिप्सम पाउडर के विक्रय हेतु स्टॉकिस्ट / डीलर / सब–डीलर (जो कृषि विभाग, राजस्थान से प्राधिकृत है) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। विस्तृत विवरण वेबसाइट rajfed.gov.in पर देखें। संशोधन / शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा। आवेदन राजफैड, मुख्यालय में दिनांक 24.09.2018 से किया जा सकता है।

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. (राजफैड)
4, भवानी सिंह रोड, जयपुर

क्रमांक/एफ/कृषि आदान/2018–19/ दिनांकः

मैसर्स...

....

....

विषय :– जिप्सम विक्रय हेतु अधिकृत डीलर्स की नियुक्ति बाबत।

महोदय,

राजफैड गत वर्षो से निरंतर कृषि उपयोग हेतु जिप्सम वितरण का कार्य सदस्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कर रहा है राजफैड द्वारा डीलर नेटवर्क के माध्यम से विपणन करने हेतु डीलर्स नियुक्त करने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे है। जिप्सम डीलर हेतु कोई खाद, बीज विक्रेता/अन्य विक्रेता आवेदक, जो कृषि विभाग से प्राधिकृत है, ही आवेदन कर सकेगा। डीलर बनने के लिए अन्य आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार हैः–

1. राज्य में जिप्सम का वितरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलेवार अनुदानित दरों पर किया जायेगा।
2. जिप्सम की मांग अनुसार आपूर्ति अनलोडिंग सहित गन्तव्य स्थान पर राजफैड द्वारा करवाई जायेगी।
3. डीलर फर्म को कृषि निदेशालय द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर जिप्सम पाउडर का वितरण करना होगा। किसी भी स्थिति में कृषि निदेशालय द्वारा निर्धारित अनुदानित दरों से अधिक दर पर जिप्सम का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
4. कृषि निदेशालय द्वारा जिप्सम आपूर्ति पर किसी प्रकार की इन्सेन्टिव राशि की घोषणा की जाती है और यदि राशि राजफैड को प्राप्त हो जाती है, तो ही राजफैड द्वारा डीलर को भुगतान किया जावेगा।

5. किसी भी फर्म को डीलरशीप देने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. डीलर फार्म के साथ फर्म के PAN No. & GST No. की छाया प्रतियॉ अनिवार्यतः संलग्न करनी होगी।
7. डीलर द्वारा जिप्सम प्राप्ति के 30 दिवस में प्राप्त जिप्सम मात्रा का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि विस्तार/जिला विस्तार अधिकारी से करवाकर अनुदान प्राप्ति संबंधित आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।
8. इकरारनामा डीलर द्वारा भरा जायेगा एवं निर्धारित डीलरशीप की शर्तो पर सहमति राजफैड को पुनः प्रेषित करनी आवश्यक होगी।

यदि आप राजफैड के अधिकृत डीलरशीप की नियुक्ति चाहते है, तो कृपया संलग्न डीलरशीप के आवेदन पत्र को निम्नानुसार पूर्ति कर राजफैड को भिजवाने का श्रम करें:

1. यदि आप आवेदन कर रहे है तो बतोर धरोहर राशि रू0 50000/– का डी.डी. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय सघं लि0 जयपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करें।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न इकरारनामे के प्रारूप को राशि रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर टंकित कर नोटेरी से तस्दीक करवा कर संलग्न करें।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तो पर सहमति स्वरूप मय मुहर अपने हस्ताक्षर अंकित कर संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही आपको अधिकृत डीलरशीप देने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान राज्य सरकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर

<u>जिप्सम विक्रय के लिये स्टॉकिस्ट/डीलर</u>
<u>नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र</u>

प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य सरकारी क्रय–विक्रय संघ लि0,
4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर

विषयः– जिप्सम विक्रय के लिये वर्ष 2018–19 एवं आगामी वर्षो के लिये स्टॉकिस्ट/डीलर्स की नियुक्ति करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं/हम उत्पाद का नाम जिप्सम के विक्रय हेतु स्टॉकिस्ट/डीलर/सब–डीलर की नियुक्ति चाहने हेतु राजफैड को आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है। फर्म का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता (रजिस्ट्रेशन पत्र संलग्न है) : ....
....
....

2. प्रोपराईटर/पार्टनर्स के नाम एवं पूर्ण पते (प्रमाण पत्र संलग्न है) : ....
....
....

3. आयकर स्थायी खाता (PAN No.) : ....

   GST No ....
   (फोटो प्रति संलग्न है)

4. उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र संख्या एवं दिनांक (फोटो प्रति संलग्न है) : ....

5. फर्म/प्रोपराइटर/पार्टनर्स के कार्या./ : कार्यालय : निवास : मोबाईल

निवास के फोन नंबर ....
फैक्स नंबर ....
Email-ID ....

6. डीलर/सब डीलर द्वारा व्यापार करने का इच्छित स्थान/गोदाम का स्थान (अधिकतम पंचायत मुख्यालय तक) : ....
....
....

7. डीलर फर्म की विगत 3 वर्ष की बैलेन्स शीट/बिक्रीकर निर्धारण प्रपत्र का विवरण मय छाया प्रति तथा अन्य दस्तावेज जिनसे डीलर की आर्थिक स्थिति परिलक्षित हो, की प्रमाणित छाया प्रतियॉ भी संलग्न करें :

8. सम्पत्ति का विवरण (साझेदारी फर्म की दशा में प्रत्येक साझेदार की अचल सम्पत्ति का विवरण) : ....
: ....
: ....

9. नियमानुसार बतौर अमानत राशि रूपये 50000/– जरिये रसीद/डी.डी. नं. .... दिनांक .... द्वारा राजफैड में जमा करवा दी गई है।
10. विगत वर्ष/वर्षो में जिप्सम/फर्टिलाईजर आदि के वितरण एवं कार्यानुभव विवरण एवं प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. जिप्सम पंचायत मुख्यालय/ग्राम के मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगा तथा राज्य सरकार/निगम द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित विक्रय दर पर जिप्सम के विक्रय करने का वचन देता हूँ।
12. अधिकृत डीलर/स्टॉकिस्ट की वर्णित सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित करता/करते है एवं इनके सभी पृष्ठों पर प्रमाणस्वरूप मय मुहर हस्ताक्षर अंकित कर दिये है।

स्थान : भवदीय,

दिनांक : आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सरकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
4, भवानी सिंह रोड, जयपुर

जिप्सम विक्रय हेतु स्टॉकिस्ट/डीलर/सब डीलर नियुक्ति की शर्ते

1. आवेदन पत्र के प्रत्येक बिन्दु की पूर्ति किया जाना आवश्यक है, अपूर्ण एवं बिना अमानक राशि के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. जिप्सम विक्रय हेतु कोई भी खाद, बीज विक्रेता/अन्य व्यापारी आवेदन कर सकता है, जिनके विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जिप्सम के कार्य हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था का (न्यूनतम 3 जिलों में) 3 वर्ष के अनुभवी एवं अच्छी साख वाले खाद–बीज विक्रेताओं को डीलर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
3. अधिकृत डीलर/सब–डीलर अपनी संविदा को या उसके किसी भी भाग को अन्य एजेन्सीज को नहीं दे सकेगा या सबलेट नहीं कर सकेगा।
4. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना डीलर द्वारा राजफैड कार्यालय में 07 दिवस में दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र बॉल पैन या टंकण से भरे जावे, रूल व पेंसिल से भरे हुए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदनकर्ता प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में मय मुहर अपने हस्ताक्षर अंकन करेंगे।
6. डीलर को उर्वरक की भांति जिप्सम की आपूर्ति एवं वितरण का स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में हमेशा तैयार रखना होगा जो राजफैड/कृषि विभाग के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कभी भी जांचा जा सकेगा। इस जांच के दौरान पाई गई अनियमितता की पूर्ति के लिये डीलर फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।
7. डीलर को जिप्सम प्राप्ति के 30 दिवस में प्राप्त जिप्सम मात्रा का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित उप निदेशक कृषि विस्तार/जिला विस्तार अधिकारी से करवाकर जी.आर.वाइज मात्रा का प्रमाणीकरण राजफैड को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित अवधि

में प्रमाणीकरण प्रेषित नहीं करने की दशा में राजफैड अनुदान राशि के बराबर राशि डीलर फर्म से वसूल करने को स्वतंत्र होगा। डीलर फर्म प्रमाणीकरण के विरूद्ध दो रेखांकित चैक राजफैड में बतौर गारन्टी जमा करवायेगा जो प्रमाणीकरण प्राप्ति के पश्चात डीलर फर्म को लौटा दिये जावेगें। प्रमाणीकरण निर्धारित अवधि में नहीं करवाने पर डीलर फर्म की आपूर्ति रोकी जा सकती है, जिसके लिये डीलर फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

8. प्रतिभूति/अमानत राशि निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगाः–

   (अ). यदि आवेदनकर्ता आवेदन पत्र स्वीकार करने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उसमें स्वयं परिवर्तन करता है।

   (ब). यदि डीलर जिप्सम की डीलीवरी लेने से इन्कार करता है अथवा उत्पाद रवानगी व पहुॅच के मध्य ही मांग निरस्त करता है।

9. डीलर द्वारा भूमि सुधार या तिलहन दलहन एवं गेहॅू उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित होने वाली जिप्सम की मांग सम्बन्धित कृषि अधिकारी से प्राप्त कर जिप्सम पाउडर संबंधित कृषकों को उपलब्ध करवायेगा।

10. (क) अधिकृत डीलर/स्टॉकिस्ट द्वारा कृषि उपयोग के लिये मांग की गई जिप्सम मात्रा कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित शर्तो एवं दरों पर मांगकर्ता को उपलब्ध करवायेगा। एक ट्रक के लिये राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित भार के अनुसार ही मांग स्वीकार की जावेगी एवं इसके अनुरूप ही मांग एकत्रित कर राजफैड को प्रेषित की जावेगी।

    (ख) विशिष्ट परिस्थितियों को छोडकर सामान्यतः डीलर मांग को 30 दिन से पूर्व निरस्त नहीं करवा सकेगा। तथा ट्रांजिट की मांग उसे स्वीकार करनी ही होगी, अन्यथा स्थिति में राजफैड को होने वाली प्रत्येक क्षति की पूर्ति डीलर फर्म से की जावेगी।

11. डीलर को जिप्सम की प्राप्ति की सूचना स्वयं के लेटरहैड पर निम्न प्रारूपानुसार राजफैड को 30 दिवस में प्रेषित करनी अनिवार्य होगी :–

क्र. स.	जी.आर.नंबर एवं दिनांक	स्थान	प्राप्त मात्रा	अन्य विवरण यदि कोई हो

उक्त सूचना के निर्धारित अवधि में प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में डीलर द्वारा वजन कमी/कम बैग्स की प्राप्ति इत्यादि की शिकायत पर राजफैड स्तर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डीलर द्वारा ट्रक ड्राईवर को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावे अन्यथा इसके लिये डीलर स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि जिप्सम की आपूर्ति मांग के अनुसार गन्तव्य स्थान तक अनलोंडिग सहित परिवहन फर्म द्वारा की जावेगी।

12. राजफैड द्वारा डीलर फर्म को परिवहन फर्म एवं आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त सूचना के अनुसार जिप्सम जी.आर.वाईज आपूर्ति सूचना प्रेषित की जावेगी। सूचना के आधार पर डीलर फर्म द्वारा जिप्सम का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जावेगा।

जिप्सम हेतु वितरित मात्रा का सत्यापन निर्धारित प्रारूप में संबंधित उप निदेशक कृषि(वि0)/जि.वि.अ. से करवाकर छाया प्रति जिले के उप निदेशक कृषि (वि0) कार्यालय एवं राजफैड को प्रेषित करनी होगी। आपूर्तित जिप्सम का प्रमाणीकरण करवाने का दायित्व डीलर फर्म का होगा।

13. डीलर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जी.आर. पर उत्पाद प्राप्ति रसीद परिवहन फर्म/ट्रक ड्राईवर को दिया जाना आवश्यक होगा। यदि जी.आर. में उल्लेखित मात्रा एवं भौतिक रूप से प्राप्त मात्रा में अन्तर पाया जाता है तो जी.आर. प्राप्ति रसीद पर

उसका उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावें अन्यथा किसी प्रकार के अन्तर मात्रा के आक्षेप स्वीकार्य नहीं होगें।

14. डीलर की मांग पर राजफैड द्वारा जारी डी.आई. पर परिवहनकर्ता फर्म द्वारा रवानगी उपरान्त यदि डीलर द्वारा मांग निरस्त करवाता है अथवा सुपुर्दगी लेने से इन्कार करता है, तो ऐसी स्थिति में राजफैड सम्पूर्ण हर्जा, खर्चा एवं हानि की क्षतिपूर्ति डीलर से वसूल करने को स्वतन्त्र होगा।

15. डीलर द्वारा जिप्सम के विरूद्ध देय भुगतान राशियों पर निम्नानुसार क्रेडिट अवधि देय होगी :–

(का) जिप्सम मांग पत्र के साथ ऑन लाइन चैक प्रस्तुत करने पर 90 दिवस की छूट दी जावेगी। डीलर द्वारा देय तिथि को नगद अथवा डी.डी. द्वारा भुगतान किया जाता है तो डीलर द्वारा प्रेषित चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

(ख) जिप्सम मांग पत्र के साथ बैंक का साधारण चैक प्राप्त होने पर 60 दिवस की छूट देय होगी। यदि डीलर द्वारा 90 दिवस में राशि नकद/डी.डी. से निगम में जमा करवाई जाती है तो डीलर 90 दिवस की क्रेडिट अवधि प्राप्त कर सकेगा, परन्तु डीलर को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही इस विषयक राजफैड को लिखित में सूचित करना होगा।

(ग) क्रेडिट अवधि (50–90 दिवस) की गणना जी.आर. पर अंकित दिनांक से की जावेगी तदोपरान्त चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यदि डीलर फर्म अपरिहार्य परिस्थितिवश उक्त अवधि में भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो क्रेडिट अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को लिखित में सूचित करना होगा जिस पर अवधि बढ़ाने/न बढ़ाने विषयक निर्णय का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। यह अवधि किसी भी परिस्थिति में 30 दिवस से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी। इसके लिए भी डीलर फर्म को जी.आर. की दिनांक से राशि जमा करवाने की दिनांक तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(घ) डीलर फर्म जो राजफैड को R.T.G.S. प्रक्रिया से भुगतान करना चाहते है, उन्हें अपनी प्रथम मांग के साथ इस विषय में घोषणा करनी होगी। ऐसे डीलर्स को निम्नांकित कार्य सम्पन्न करने होंगे :–

i) 5 ऑन लाइन चैक बतौर सिक्योरिटी राजफैड में जमा करवाने होंगे जो अनुबंध समाप्ति पर वापस लौटा दिये जावेंगे।

ii) R.T.G.S. सुविधा राजफैड के निम्न बैंकों में उपलब्ध है, का विवरण इस प्रकार है :–

S.No.	Name of Bank	Branch Address	IFS Code Of Bank	RLDC Saving Bank A/c No.
1.	SBI Bank	Tilak Marg, Jaipur	SBIN0031510	00000061193917408
2.	Apex Bank	Nehru Sahkar Bhawan		

iii) राशि जमा करवाने के उपरान्त जमा रसीद की छाया प्रति राजफैड को प्रेषित करनी होगी।

(च) उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रियाधीन डीलर फर्म निर्धारित क्रेडिट अवधि में भुगतान जमा करवाने में असफल रहती है अथवा राजफैड द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया चैक यदि अनादरित हो जाता है तो देय क्रेडिट अवधि का लाभ देय नहीं होगा। इस प्रकार आपूर्ति जिप्सम की मात्रा की राशि पर जी.आर. की दिनांक से भुगतान सुनिश्चित होने की दिनांक तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकेगा तथा अनादरित चैक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व डीलर फर्म का होगा तथा हर्जे खर्चे की वसूली भी डीलर फर्म से की जावेगी।

16. जी.आर. में अंकित मात्रा (बैग/वजन) से कम मात्रा प्राप्त होने पर जी.आर. पर उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा तथा जिप्सम प्राप्त नहीं होने पर राजफैड द्वारा प्रेषित सूचना के संदर्भ में 30 दिवस में राजफैड कार्यालय को डीलर द्वारा सूचित करना

होगा। 30 दिवस बाद डीलर से प्राप्त आपत्तियों पर राजफैड स्तर पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा।

17. डीलर / सब–डीलर द्वारा स्टॉक पंजिका का संधारण किया जावेगा तथा बिक्री केन्द्र पर स्पेसिफिकेशन उपलब्ध मात्रा एवं विक्रय दर प्रति मैं. टन / प्रति बैग, अथवा प्रति इकाई सूचना पट्ट पर अंकित की जानी हागी।

18. राजफैड एक जिले के क्षेत्र में उपखण्डवार एक अथवा एक से अधिक डीलर आवश्यकतानुसार नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. GST के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम प्रभावी / लागू माने जावेगें।

20. राज्य सरकार / राजफैड द्वारा समय–समय पर जारी आदेश डीलर फर्मो पर जिप्सम वितरण के संबंध में प्रभावी होगें तथा डीलर्स को मान्य होगें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कृषि निदेशालय द्वारा निर्धारित प्र.मै.टन अधिकतम विक्रय मूल्य की सूचना राजफैड द्वारा डीलर फर्मो को दी जावेगी तथा डीलर निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को जिप्सम का विक्रय नहीं कर सकेगें। राजफैड द्वारा प्रदत्त डीलरशिप आगामी आदेशों तक जारी रहेगी जब तक कि राजफैड द्वारा डीलरशिप समाप्ति विषयक आदेश जारी नहीं कर दिये जाते है।

21. डीलरों द्वारा इकरारनामा भरा जावेगा।

22. समस्त प्रकार के विवादों के लिये न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

स्थान :

दिनांक : आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर मय मुहर

राशि रू0 500/— के

नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .... को राजस्थान राज्य सहकारी क्रय—विक्रय संघ लि0, जयपुर, जिसका मुख्यालय 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर में स्थित है, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है तथा मैसर्स ... .(जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) तथा इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जावेगा उसे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों के शामिल हुआ समझा जावेगा। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में वर्ष 2018—19 एवं आगामी वर्षो के लिये जिप्सम के विधिवत वितरण/विक्रय के लिये निम्नानुसार इकरारनामा सम्पन्न किया जाता हैः—

1. द्वितीय पक्ष राजस्थान राज्य के (जिले के नाम)........................ में उसके शाखा कार्यालयों को जिले के पंचायत मुख्यालय ग्राम तक कृषि उपयोग के लिये मांगकर्ता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषि विभाग/निगम द्वारा अनुमोदित/अनुबंधित शर्तो पर जिप्सम का वितरण/विक्रय करेगा।

2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति के रूप में नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या............................. दिनांक .... द्वारा राशि रूपये 50000/— राजफैड में जमा करवा दी गई है। उक्त धरोहर राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :—
   - (क) राजफैड द्वारा उपलब्ध करवाई गई विक्रय दर पर डीलर/स्टॉकिस्ट की शर्तो में दिये गये तरीको से जिप्सम का विधिवत वितरण/विक्रय किया जावेगा।
   - (ख) डीलर/स्टॉकिस्ट की शर्तो को तथा इस करारपत्र से जुडी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जावेगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिये मान्य होगी।
   - (ग) आवेदनकर्ता से प्राप्त पत्र संख्या.................. तथा राजफैड द्वारा जारी किये गये पत्र संख्या .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किये गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होगें।
   - (घ) करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित प्रश्न प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनिश्चित किये जावेगें तथा प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
   - (च) अनुबन्ध प्रपत्र में उल्लेखित प्रावधानों अथवा उसके किसी भाग के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर डीलर फर्म की डीलरशिप निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(छ) राज्य सरकार/राजफैड द्वारा समय–समय पर जिप्सम के वितरण के संबंध में लिये गये निर्णय की सूचना डीलर फर्म को राजफैड द्वारा दी जाती रहेगी तथा उसे मानने के लिये डीलर फर्म पूर्णरूप से बाध्य होगी।

(ज) समस्त प्रकार के विवादों के लिये न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

अतः इस करार के साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्ष की ओर से महाप्रबन्धक (कृषि आदान), राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0, जयपुर तथा द्वितीय पक्ष की ओर से श्री .... मालिक/पार्टनर मैसर्स .... ने इस करार पत्र को स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये।

साक्षीगण :

1. ....

हस्ताक्षर मय मुहर
डीलर/स्टॉकिस्ट मैसर्स.........

2. ....

महाप्रबन्धक (कृषि आदान)
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0